

FROM No.III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु

अज अदालत..... मुकाम.....

बनाम.....

किसम मुकदमा..... नं. 186/2020 सन्.....

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
28/07/2020	<p>प्रार्थी/बन्दी/अपीलांट के वकील श्री ने यह प्रार्थना पत्र/ब्याद/अपील धारा राजस्थान कायदाकारी/भूराजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/सेम्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 08/09/2020 को पेश हो।</p>	
08/09/20	<p>प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थी/अपील के नोटिस तामिल बुद्धा प्राप्त जिसे शामिल पभावली किया गया। विप्रार्थी/अपील वाकजुड तामिल अनुपस्थित जिनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाते है। अतः कानून बखस पभावली दिनांक 21/09/2020 को पेश हो।</p>	
21/09/20	<p>प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थी/अपील अनुपस्थित। प्रार्थी के अधिकतर अध्यापक बखस चुकी गई। प्रार्थी के अधिकतर अध्यापक की प्रार्थी व विप्रार्थी/अपील के म्याटेरिअल पास पास आये हुए है। प्रार्थी व विप्रार्थी/अपील के म्याटेरिअल के मध्य जो पुरानी माठे व उठो आये हुए है जो वर्तमान में प्रार्थी की पजट में बिभर गये है।</p>	

सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु



जिसमें छात्रों को अपने ध्येय की सीमाओं का सही ज्ञान नहीं हो पा रहा है छात्रों व विद्यार्थियों के मध्य ध्येय के मंगों को लेकर हमेशा लड़ाई बना रहता है। छात्रों को अपने ध्येय की सीमाओं का सही ज्ञान देने के लिए नैयमबन्दी करवानी आवश्यक है इसलिए छात्रों का नैयमबन्दी करवानी स्वतंत्र विद्या जाड़ा नैयमबन्दी करवानी विद्या जावे।

कतः छात्रों अधिकतर के मित्रों पर छात्रों का नैयमबन्दी करवानी स्वतंत्र विद्या जाड़ा तदानीलगा विद्या को उमिशन व सम्बन्धित भूष अमिलेख निरिस्त को सहायक उमिशन सिमुक्त विद्या जाड़ा प्रारंभ विद्या जाता है कि प्राप्त स्वयं या सहायक उमिशन के छात्रों के प्यालेसारी ध्येयों की पृच्छा नैयमबन्दी मांडे पर उमिशन कुलुड जमाडराडर करें। पालना रिपॉर्ट प्राप्त होने पर वागित्तन पमावली हो पमावली केमल सुमार होडर इज नम्बर के उम्र की वाकिल इकरा ही।


सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु

श्री लालचरण
कायम
विद्यार्थी
ल...

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु जिला बाड़मेर

वेदन / 2020 / 669
वेदन संख्या -186 / 2020

दिनांक :- 22/09/2020

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थीगण


श्री तगाराम पुत्र पेमाराम के
कायम मुकाम जाति-मेघवाल,
निवासी-कसुम्बला हरचंद,
तहसील-गिड़ा, जिला-बाड़मेर

श्री गिरधारीराम पुत्र पेमाराम वगैरा 7,
निवासी-कसुम्बला हरचंद,
तहसील-गिड़ा, जिला-बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा-कसुम्बला हरचंद, पटवार मण्डल-कसुम्बला भाटियान, तहसील-गिड़ा, जिला-बाड़मेर खेत खसरा नम्बर 125/70 रकबा 36.13 बीघा की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनर शुल्क 500/- जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबंधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।



सहायक कलक्टर
(विवेक व्यास) (SDO) बायतु
उपखण्ड अधिकारी, बायतु
दिनांक :- 22/09/2020

कमांक / आवेदन / 2020 / 670-674
प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार, गिड़ा।
2. पटवारी हल्का, कसुम्बला भाटियान को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण श्री तगाराम पुत्र पेमाराम के कायम मुकाम।
4. विप्रार्थीगण श्री गिरधारीराम पुत्र पेमाराम वगैरा 7।
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, गिड़ा।



उपखण्ड अधिकारी, बायतु
(SDO) बायतु